न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 66/2024

अनवान : –

1. सतीश कुमार पुत्र नथू राम जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. नत्थूराम पुत्र हजारी जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर।
2. रूकमणी पुत्री हजारी जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.।
3. सावित्री पुत्री हजारी जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.।
4. विद्या पुत्री हजारी जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.।
5. संतोष पुत्री द्रोपती पुत्री हजारी जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर।
6. सावित्री पुत्री द्रोपती पुत्री हजारी जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर।
7. रामेती पुत्री नत्थूराम जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.।
8. रामअवतार पुत्र नाथूराम जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर।
9. अशोक कुमार पुत्र नथूराम जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 15/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा भंगूली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 29/31 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 10.5470 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 28/30 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 11.5970 है0 भूमि में से 28989/115970 हिस्सा भूमि मृतका प्रमेश्वरी पत्नी गजानन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वादी के चाचा गजानन्द पुत्र हजारी व चाची प्रमेश्वरी पत्नी गजानन्द का लावल्द स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 9 जायज वारिसान है तथा उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण का हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता [illegible] भी हक हिस्सा बनता है वह वादी व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के पक्ष में [illegible] प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 जो कि वादी की बुआ है तथा तथा प्रतिवादीया [illegible] 5 ता 6 जो कि [illegible] मृतक बुआ द्रोपती के वारिस है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा [illegible] जो भी हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने भाई/मामा व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है एवं प्रतिवादीया संख्या 7 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है व अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा भंगूली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 29/31 के खसरा नं. 110/2, 202, 90/2 कुल खसरे 3 की कुल तादादी 10.5470 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 28/30 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 11.5970 है0 भूमि में से 28989/115970 हिस्सा भूमि उपरोक्त दोनो खातो में मृतका प्रमेश्वरी के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 8 काबिज है एवं 1/4 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है तथा शेष 1/4 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 9 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी की चाची परमेश्वरी पत्नी गजानन्द के नाम दर्ज है प्रमेश्वरी पत्नी गजानन्द लावल्द स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद वादी व प्रतिवादीगण ... तथा उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण का हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

समझोता रोही मौजा भंगूली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 29/31 के खसरा नं. 110/2, 202, 90/2 कुल खसरे 3 की कुल तादादी 10.5470 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 28/30 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 11.5970 है0 भूमि में से 28989/115970 हिस्सा भूमि उपरोक्त दोनो खातो में मृतका प्रमेश्वरी के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 8 काबिज है एवं 1/4 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है तथा शेष 1/4 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 9 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भंगूली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 29/31 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 10.5470 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 28/30 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 11.5970 है0 भूमि में से 28989/115970 हिस्सा भूमि मृतका प्रमेश्वरी पत्नी गजानन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी की चाची परमेश्वरी पत्नी गजानन्द के नाम दर्ज है प्रमेश्वरी पत्नी गजानन्द का लावल्द स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 9 जायज वारिसान है तथा उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण का हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा भंगूली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 29/31 के खसरा नं. 110/2, 202, 90/2 कुल खसरे 3 की कुल तादादी 10.5470 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 28/30 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 11.5970 है0 भूमि में से 28989/115970 हिस्सा भूमि उपरोक्त दोनो खातो में मृतका प्रमेश्वरी के नाम दर्ज भूमि में से 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 8 काबिज है एवं 1/4 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है तथा शेष 1/4 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 9 काबिज है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या परमेश्वरी के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादी के उक्त कथनो को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भंगूली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 29/31 के खसरा नं. 110/2, 202, 90/2 कुल खसरे 3 की कुल तादादी 10.5470 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 28/30 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 11.5970 है0 भूमि में से 28989/115970 हिस्सा भूमि उपरोक्त दोनो खातो में मृतका प्रमेश्वरी पत्नी गजानन्द का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/4 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/03/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:55 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 66 / 2024

अनवान : –

1. सतीश कुमार पुत्र नथू राम जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. नत्थूराम पुत्र हजारी जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर।
2. रूकमणी पुत्री हजारी जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.।
3. सावित्री पुत्री हजारी जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.।
4. विृद्या पुत्री हजारी जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.।
5. संतोष पुत्री द्रोपती पुत्री हजारी जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर।
6. सावित्री पुत्री द्रोपती पुत्री हजारी जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर।
7. रामेती पुत्री नत्थूराम जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ.।
8. रामअवतार पुत्र नाथूराम जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर।
9. अशोक कुमार पुत्र नथूराम जाति ब्राह्मण निवासी भंगूली तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 66 सन 2024 निर्णय दिनांक –15/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भंगूली तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 29 / 31 के खसरा नं. 110 / 2, 202, 90 / 2 कुल खसरे 3 की कुल तादादी 10.5470 है0 भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 28 / 30 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 11.5970 है0 भूमि में से 28989 / 115970 हिस्सा भूमि उपरोक्त दोनो खातो में मृतका प्रमेश्वरी पत्नी गजानन्द का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1 / 4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1 / 4 हिस्सा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:36:55 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर